



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2018—आषाढ़ 1, शक 1940

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.5	हस्तलिखित मैन्युअल जाति प्रमाण-पत्र की डिजिटल प्रति प्रदान करना।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	03	जिला कलेक्टर	07	संभागीय आयुक्त राजस्व।
6.6	ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य (पिता/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो को जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करना।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	15	जिला कलेक्टर	30	संभागीय आयुक्त राजस्व।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, प्रमुख सचिव।